भारतीय बैंकिंग - भावी यात्रा*

आनंद सिन्हा

श्री एम.डी. मल्लया, अध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ और श्री एम. नरेन्द्र, अध्यक्ष, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, भारतीय बैंकिंग उद्योग के इस विशिष्ट अवसर के संयुक्त आयोजक तथा अन्य प्रतिनिधि। सबको सायंकाल की नमस्ते। इस सम्मेलन में बिदाई संबोधन देने के लिए आज यहां पर होना मेरे लिए गौरव की बात है। यह सम्मेलन गंभीर चर्चा के लिए बैंकिंग क्षेत्र के विद्वानों का एक वार्षिक संगम है। ये सम्मेलन हमें बैंकिंग क्षेत्र की नवीनतम गतिविधियों पर चर्चा करने के लिए एक अवसर प्रदान करते हैं और कार्रवाई के भावी मार्ग को निर्धारित करते हैं। संकट के पश्चात हाल के चरण में, वातावरण इतना तरल और गतिशील हो गया है कि बैंकों को नयी-नयी चुनौतियों का सामना करने के लिए निरंतर जागरूक और तैयारी की अवस्था में रहने की आवश्यकता है तथा उन्हें तेजी से बदलते विनियामी परिदृश्य के साथ समायोजन भी करना है।

2. तीन दिनों के दौरान जैसाकि मैंने कार्यक्रम सूची में देखा है, इस सम्मेलन में व्यापक दायरे वाले महत्त्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया गया है जैसे वित्तीय समावेशन, थोक बैंकिंग, प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता अनुभव, आदि। मुझे भरोसा है कि इस चर्चा ने नयी विचार प्रक्रिया की शुरुआत की है तथा भारतीय बैंकिंग को और अधिक प्रभावी, आघात -सहनीय तथा सामाजिक रूप से अधिक सामयिक बनाने के लिए हमें पीछे जाने और क्रियान्वयन रणनीति तैयार करने के लिए नये आयाम खोले हैं।

3. आइबीए-फिक्की - बीसीजी रिपोर्ट (अगस्त 2011) के अनुसार, 'भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि भारतीय बैंकिंग को 2025 तक विश्व में आस्ति आकार के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा उद्योग बनायेगी'। सबसे बड़ा होना पर्याप्त नहीं है बल्कि कार्यक्षम होना बड़ी बात है जिसके लिए हमें प्रयास करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है तथा जीडीपी वृद्धि दर का औसत संकट के पूर्व के पिछले पांच वर्षों में 8.8 प्रतिशत रहा है। इसके बाद की मंदी के बावजूद, भारत का सकल घरेलू उत्पाद अभी भी तार्किक रूप से तेज गति से बढ रहा है। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को और जीडीपी अनुपात की तुलना में ऋण में संभावित वृद्धि को तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था की अपेक्षाओं के अनुरूप करना होगा। इसमें जनांकिकीय लाभांशों को भी जोड़ना होगा जिसके साथ अनेकों चुनौतियां और अवसर मौजूद होंगे। इस प्रकार, भावी भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के पास एक बड़ी जिम्मेदारी है और अवसर भी हैं।

4. बैंकों के लिए जिम्मेदार होना अब उनकी इच्छा पर नहीं है। व्यापारिक तौर पर लाभ एक प्रसंशनीय उद्देश्य हो सकता है लेकिन हमें याद रखना होगा कि शामिल किये गये और शामिल जाने वाले सभी हितधारियों के हितों को संतुलित करना केवल सामाजिक तौर पर ऐसा अनुकूलतम विकल्प होगा जो दीर्घकालिक अस्तित्व और वृद्धि को सुनिश्चित करेगा। केसिनो बैंकिंग का कोई भविष्य नहीं है। इस संदर्भ में, मैं सत्यजीत दास की पुस्तक 'ट्रेडर्स, गन्स और मुद्रा' की फाइनेंशियल टाइम्स की समीक्षा को उद्धृत करना चाहूँगा - '*यह पठन को मनोहारी बनाती है --- पुराने तरह के वित्त पोषक इसे पढ़ेंगे और रोएंगे---*'।

II. भारतीय बैंकिंग प्रणाली की उपलब्धियां

5. भारत को प्रसंशा मिल रही है कि उसने वित्तीय संकट का सामना सापेक्षिक रूप से बिना नुकसान उठाए किया। यह देश की मजबूत और आघात सहनीय बैंकिंग प्रणाली के कारण संभव हुआ। बैंकिंग क्षेत्र की आघात-सहनीयता की नींव 1991 में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के साथ पड़ी जिसमें विवेकशील विनियमन और बढ़ती प्रतियोगिता पर फोकस किया गया। इन सुधारों का बैंकिंग प्रणाली की समग्र कार्यक्षमता और स्थिरता पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा। शाखा / एटीएम की मौजूदगी के कारण बैंकों की दूरदराज पहुंच बढ़ी है। तुलन-पत्र और समग्र बैंकिंग कारोबार का भी आकार में बढ़ा है। प्रतियोगिता बढ़ने से भारतीय बैंकों की वित्तीय कार्य-निष्पादन और कार्यक्षमता में सुधार हुआ है जैसाकि उनकी लाभप्रदता, निवल ब्याज मार्जिन, आस्तियों पर प्रतिफल और इक्विटी पर प्रतिफल में परिलक्षित होता है।पूँजी की स्थिति में काफी अधिक सुधार हुआ है,और बैंक अपनी अनर्जक आस्तियों को तेजी से कम कर सके हैं। सुधार के इस चरण में प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रयोग दिखा है जिसने ग्राहक सेवाओं में सुधार करने में मदद की है।

* 6 नवंबर 2011 को चेन्नै में बैन्कॉन 2011 के अवसर पर भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री आनंद सिन्हा द्वारा बिदाई संबोधन का विस्तृत संस्करण। सुश्री अनुपम सोनल द्वारा प्रदान की गयी सामग्री के लिए आभार प्रकट करते हैं।

6. जबकि वित्तीय स्थिरता को रिज़र्व बैंक के कानून (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934) के अंतर्गत स्पष्ट रूप से एक उद्देश्य नहीं माना गया है, प्रणाली में वित्तीय स्थिरता को मजबूत बनाने के लिये समय-समय पर अनेकों कदम उठाए गए हैं। यह दृष्टिकोण विगत अनुभवों तथा व्यष्टिस्तरीय पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं और समष्टिआर्थिक मूल्यांकनों के बीच निरंतर अंतर्क्रिया से उद्भूत हुआ है। भारतीय संदर्भ में, मौद्रिक नीति के बहु संकेतक दृष्टिकोण और विवेकपूर्ण वित्तीय क्षेत्र प्रबंधन, साथ ही रिज़र्व बैंक और अन्य वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के बीच घनिष्ठ तालमेल के माध्यम से साहचर्यपूर्ण दृष्टिकोण ने वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की है। कुछ अन्य नीतिगत उपायों में पूंजी खाता प्रबंधन, प्रणालीगत अंतर्संबद्धता प्रबंधन, विवेकपूर्ण ढांचा सुदृढ़ीकरण, वित्तीय बाजार के बुनियादी ढांचे में सुधार के प्रयास आदि शामिल हैं। बैंकों के बीच और बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (हमारे शैडो बैंक) की अंतर्संबद्धता और सामान्य एक्सपोजर से उद्भूत प्रणालीगत मुद्दों का निराकरण, अन्य उपायों के साथ-साथ इस प्रकार किया गया जैसे - बैंकों की निवल हैसियत के अनुपात के रूप में कुल अंतर-बैंक देयताओं पर विवेकपूर्ण सीमाओं को लगाया गया, बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों की गैर-संपार्श्विकीकृत निधीयन बाजार में पहुंच को प्रतिबंधित किया गया जिसमें उधार लेने और उधार देने दोनों पर सीमा लगाई गयी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं पर बड़े पैमाने पर कठोर विवेकपूर्ण विनियमन लागू किए गए तथा विनियामक अंतरपणन को रोकने के लिए बैंकों का एनबीएफसी के प्रति एक्सपोजर भी प्रतिबंधित किया गया । नीतिगत उपायों का एक अन्य उल्लेखनीय पहलू सह-चक्रीयता के मुद्दों के निराकरण के लिए प्रतिचक्रीय नीतियों का नवोन्मेषी प्रयोग रहा है। प्रतिचक्रीय नीतियों की शुरुआत 2004 के प्रारंभ में की गयी थी जिसमें विभिन्न कालिक सेक्टोरल जोखिमों तथा प्रावधानों का उपयोग किया गया था, यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसके पहले इनका बहुत कम उपयोग किया था। नये-नये जोखिमों के संदर्भ में किए गये गैर-परांपरागत उपायों को अब व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया है क्योंकि इन्होंने भारतीय वित्तीय प्रणाली को बडी-बडी दुर्बल स्थितियों से बचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

7. इस प्रकार, हमको संतुष्ट होना चाहिए क्योंकि हम 1991 के सुधारों से काफी आगे निकल आये हैं। हम अपनी उपलब्धियों और सफलताओं पर भले ही खुशी मनाएं, हमें विनम्रता के साथ यह स्वीकार करना होगा कि उत्कष्टता की हमारी खोज में हमें कुछ और अधिक करने की आवश्यकता है। इसलिए हम आगे की ओर देखें।

III. भारतीय बैंकिंग - भावी मार्ग

8. भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है लेकिन आने वाला समय पहले की अपेक्षा अधिक अनिश्चित दिख रहा है। मुझे एक विशेष बात याद है *'हमारे समय की समस्या यह है कि भविष्य वह नहीं है जो इसको होना चाहिए'*। बहुत सारी *'ज्ञात बातें अज्ञात हैं* और अज्ञात बातें अज्ञात हैं। भविष्य के गर्भ में हमारे लिए बहुत सारे अवसर और चुनौतियां छुपी हुई हैं। सम्मेलन में अवसरों और अवसरों को कैसे पाया जा सकता है, पर पहले ही ध्यान दिया गया है। अब हम कुछ ऐसी चुनौतियों की सूची बनाएं जो भविष्य में हमारा इंतजार कर रही हैं।

9. जो चुनौतियां हमारे आगे हैं उन पर चर्चा करना चाहूँगा। मैं उनको तीन प्रमुख वर्गों में बांटना चाहूँगा अर्थात

क) उभरते विनियामी और पर्यवेक्षी ढांचे के साथ चुनौतियों का सामना करना

ख) अर्थव्यवस्था की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने की चुनौतियां और

ग) प्रणाली में दोषपूर्ण स्थानों की पहचान करने की चुनौतियां

क. उभरते विनियामी और पर्यवेक्षी ढांचे के साथ चुनौतियों का सामना करना

(i) बासल II के अंतर्गत उन्नत दृष्टिकोण का कार्यान्वयन

10. बासल II के अंतर्गत उन्नत दृष्टिकोण का कार्यान्वयन बैंकों और रिज़र्व बैंक दोनों के लिए कई चुनौतियां प्रस्तुत करता है। मानकीकृत दृष्टिकोण का भारत में पहले ही कार्यान्वयन हो चुका है और सभी वाणिज्यिक बैंक मार्च 2009 के अनुसार बासल II ढांचे के अंतर्गत मानकीकृत दृष्टि की ओर अंतरित हो गये हैं। उन्नत दृष्टिकोण की ओर अंतरण बड़े बैंकों के लिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अत्याधुनिक जोखिम प्रबंधन प्रणाली अपनाई गई है। यदि बड़े बैंक मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाते हैं तो इसके साथ उनकी ख्याति के मुद्दे भी निहित हैं। उन्नत दृष्टिकोण के कार्यान्वयन में मानव संसाधन कौशल के विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, शाखा अंतर्संबद्धता, ऐतिहासिक आंकड़ों की उपलब्धता और प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन प्रणाली की सुदृढ़ता संबंधी कई मामले शामिल हैं। यद्यपि रिज़र्व बैंक ने उन्नत दृष्टिकोण के कार्यान्वयन के लिए एक संकेतात्मक समय सूची बनाई है लेकिन, बैंकों की प्रतिक्रिया अभी तक उत्साहजनक नहीं रही है। बड़े बैंकों के लिए यह अच्छा समय है कि वे अपनी प्रणालियों

और कौशल का गंभीरतापूर्वक अद्यतन कर लें तथा उन्नत दृष्टिकोण की ओर अंतरण करें।

(ii) बासल III की ओर अंतरण

(क) पूंजी

11. बासल II इसलिए बनाया गया क्योंकि इसके पूर्वाधिकारी अर्थात बासल I को जोखिम के प्रति असंवेदनशील और वित्तीय क्षेत्र की ऐसी तीव्र गतिविधियों का सामना करने के लिए शुरुआती समझा गया जिनका परिणाम बहुत अधिक विनियामी अंतरपणन होता था। बासल II का मुख्य प्रयोजन अंतरराष्ट्रीय तौर पर सक्रिय बैंकों की जोखिम प्रणाली को मजबूत करना और संवर्धित जोखिम प्रबंधन ढ़ांचा के लिए उसका प्रयोग करना है, इस तरह से पूँजी अपेक्षाओं को बेहतर बनाया जा सकेगा। यह हास्यास्पद है कि जब संकट आया तो बासल II को या तो लागू ही नहीं किया गया या केवल उसे कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया। फिर भी हमें आगे चलना पड़ा और बासल II.5 और बासल III को और आगे बढ़ाना पड़ा। पूंजी अपेक्षाओं के अर्थ में बासल III के अंतर्गत भारतीय बैंकों का मूल्यांकन करने से पता चलता है कि बहुत थोड़े बैंकों को छोड़कर, कुल मिलाकर पूरी प्रणाली भली भांति पूंजीकृत है और समग्र पूंजी पर्याप्तता अर्थात टियर I घटक अथवा ईक्विटी घटक के संशोधित पूंजी मानदंड़ की ओर अंतरण करना आसान है। लेकिन,परेशानी की बात यह है कि बैंकों को आईआरएफएस की ओर अंतरण में 1 अप्रैल 2013 को तुलन -पत्र के प्रारंभिक शेष में पेंशन और ग्रेच्युटी देयताओं की अपरिशोधित राशि के समायोजन की आवश्यकता है।

12. भविष्य में, जोखिमों के बढ़े हुए कवरेज के कारण भारतीय बैंकों के लिए पूँजी की आवश्यकता इतनी अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इन गतिविधियों की या तो करने की अनुमति नहीं है (अर्थात पुन:प्रतिभूतिकरण) अथवा इनकी मात्रा बहुत थोड़ी (अर्थात ट्रेडिंग बुक) है।

13. उच्च जीडीपी का समर्थन करने के लिए ईक्विटी के साथ-साथ पूँजी अपेक्षाएं महत्त्वपूर्ण हैं और जीडीपी की तुलना में ऋण अनुपात, जो हाल में 55 प्रतिशत के लगभग काफी कम है, का इन कारणों से काफी अधिक बढ़ना तय है अर्थात अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन जैसे वित्तीय समावेशन कार्यक्रम,विनिर्माण,बुनियादी क्षेत्र जैसे अधिक ऋण प्रधान क्षेत्रों में ऋण की आवश्यकताओं में वृद्धि होना तय है।

14. विशाल ईक्विटी अपेक्षाएं ,भले ही वे विस्तारित अवधि के लिए हों, बैंकों की ईक्विटी के प्रतिफल (आरओई) पर निम्नगामी दबाव डालेंगी। जबकि उच्चतर पूँजी अपेक्षाएं बैंकिंग क्षेत्र के जोखिमों को कम करेंगी और फलस्वरूप निवेशक कमतर जोखिमों की पहचान कर सकेंगे साथ ही वे कम आरओई का समाधान करने के इच्छुक होंगे जिससे अंतत: अल्पकाल में उत्पादकता ही बढ़ेगी।

15. एक बार जब बासल III के क्रियान्वयन के लिए हमारे दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा तो रिज़र्व बैंक और बैंक बासल III के अंतर्गत पूँजी अपेक्षाओं का आकलन करेंगे। बासल III के क्रियान्वयन के समय हमारी दुविधा होगी (क)यदि हमारी पूँजी विनियमावली अधिक सख्त है तो क्या हमें ऐसे सख्त मानदंडों का अनुपालन करते रहना चाहिए? और (ख) यह देखते हुए कि शुरुआती चरण में अर्थात संक्रमण के समय बैंकिंग प्रणाली सुविधाजनक रहेगी, क्या हमें विस्तारित समय सारणी को बढ़ाना अथवा क्रियान्वयन अनुसूची को और आगे ले जाना चाहिए?

16. जिस क्षेत्र को मजबूत बनाने की आवश्यकता है, उस क्षेत्र में प्रतिभूतिकरण संबंधी विनियमन, बाजार जोखिम प्रबंधन उपकरण तथा बासल III की वृद्धियों के अनुसार बासल II के स्तंभ II की पर्यवेक्षी समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार शामिल है।

(ख) चलनिधि प्रबंधन

17. जून 2011 को समाप्त छमाही के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में आस्तियों के निधीयन के लिए बैंकों की थोक निधीयन/बाजार उधारों पर बढ़ती निर्भरता पर चिंता व्यक्त की गई है। ऐसी निर्भरता का एक कारण ऋण वृद्धि के समानुपात में जमा वृद्धि का कम होना हो सकता है। लेकिन, ऐसी निर्भरता संकट के दौरान घातक हो सकती है क्योंकि थोक निधीयन स्रोत तेजी से समाप्त हो सकते हैं। इसलिए बैंकों को अपने चलनिधि प्रबंधन में इस बात को ध्यान में रखना होगा। बासल III के अंतर्गत यह मामला अभी बचा हुआ है कि किस सीमा तक सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) की धारिताओं को चलनिधि अनुपात की गणना करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। चूंकि एसएलआर धारिताओं को निरंतर आधार पर बनाए रखने की आवश्यकता होती है, अत: इनको तकनीकी रूप से चलनिधि प्रयोजनों के लिए नहीं गिना जाएगा। तथापि, यह उचित होगा कि एसएलआर धारिताओं के एक भाग को कम-से-कम चलनिधि अनुपात की गणना में लिया जाए क्योंकि एसएलआर धारिताएं मुख्य रूप से सरकारी बांड होती हैं जिन पर रिज़र्व बैंक चलनिधि प्रदान करता है। इसके अलावा,भारतीय बैंकों के लिए बड़ी चुनौती निम्नलिखित चलनिधि मानकों को कार्यान्वित करना है, ये

मानक है: संबंधित डेटा को सही और सूक्ष्म तरीके से एकत्र करने और बनाने की क्षमता विकसित करना, तार्किक शुद्धता और सुसंगतता के साथ चलनिधि दबाव स्थितियों का पूर्वानुमान लगाना। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय बाजार ने उस स्तर के दबाव को महसूस नहीं किया है जितना कि वैश्विक बाजारों ने किया है, अतः वैश्विक दबाव की स्थिति का पूर्वानुमान लगाना एक गुणवत्ता सम्मत विवेकहोगा।

(iii) शैडो बैंकिंग प्रणाली - विनियमन में अधिक सुसंगतता

18. एक दूसरी महत्वपूर्ण विनियामी चुनौती नियामी अंतरपणन से बचने अथवा उसे रोकने के लिए एक ही प्रकार की गतिविधियों वाले समान लिखतों और संस्थाओं के विनियमन में अधिक सुसंगतता सुनिश्चित करने की है। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा न लेने वाली कंपनियों के मामले में, पूंजी अपेक्षाओं, एक्सपोज़र मानदंडों, चलनिधि प्रबंधन, आस्ति देयता प्रबंधन और रिपोर्टिंग अपेक्षा के रूप में धीमीगति से विकसित एक विनियामी ढ़ांचा बनाया गया है, जिसने विनियामी अंतरपणन की गुंजाइश और लीवरेज की क्षमता को सीमित किया है। इस क्षेत्र की बढ़ती महत्ता को देखते हुए, अंतर्निहित जोखिमों के और अधिक सही मूल्यांकन के लिए प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। प्रणाली में स्थित विनियामी अंतरालों और अंतरपणन अवसरों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए, *अन्य बातों के साथ-साथ,* गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं पर श्रीमती उषा थोरात पूर्व उप-गवर्नर की अध्यक्षता में एक कार्य समूह बनाया गया है। इस कार्य समूह ने इन मुद्दों के निराकरण के लिए बढ़ी हुई प्रकटन अपेक्षाओं तथा बेहतर पर्यवेक्षी पद्धतियों आदि पर अपनी सिफारिशें दी हैं।

(iv)अन्य मुद्दे

19. भारतीय बैंकिंग प्रणाली एक कम लीवरेज वाली प्रणाली है जो सुविधाजनक स्थिति प्रदान करती है। रिज़र्व बैंक भी निरंतर आधार पर अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को बढ़ाने और सुकर बनाने तथा उभरते वित्तीय परिदृश्य के आधार पर कार्य कर रहा है। वित्तीय संघों की निगरानी के लिए 2009 में एक संशोधित ढ़ांचा बनाया गया है। भारत सरकार के तत्वाधान में वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद को भी सक्रिय किया गया है जिसमें जोखिमों और अस्थिरता विशेष रूप से प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं और वित्तीय संघों से आए जोखिमों के पैदा होने की प्रणाली स्तर पर निगरानी शामिल है। इस कारण वित्तीय नियामकों के बीच और अधिक सहयोग की अपेक्षा है। तथापि, वित्तीय संघों और सिफी में उद्यमवार जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया को कार्यान्वित करने/मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

(v) संरचनात्मक परिवर्तन

(क) वित्तीय नवोन्मेष

20. संकट ने वित्तीय स्थिरता बनाम वित्तीय नवोन्मेष के मसले को भी उठाया है - अन्य शब्दों में, वित्तीय नवोन्मेष का 'सामाजिक इष्टतम' का प्रश्न। भारत के संकट के प्रतिकूल प्रभाव से बचने का एक मुख्य कारण वित्तीय नवोन्मेष के प्रति उसका सुविचारित दृष्टिकोण था। हमें विनियामक और पर्यवेक्षक के रूप में नुकसानदेह वित्तीय नवोन्मेषों से रक्षा करनी है साथ ही हमें उन नए और जटिल वित्तीय उत्पादों के पीछे छुपे उद्देश्य और प्रयोजन के बारे में भी सावधान रहना है जो उद्यमों द्वारा प्रस्तावित हैं अथवा शुरू किए जाने वाले हैं। यह भारत जैसे देश के लिए विशेष रूप से प्रासांगिक है क्योंकि भारी वित्तीय उथल-पुथल के समय इसकी आघात-सहनीयता काफी सीमित रही और कोई सामाजिक सुरक्षा तंत्र भी उपलब्ध नहीं था। ये सरोकार वित्तीय नवोन्मेष के प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक के दृष्टिकोण का निर्धारण करते हैं। बैंकों को इन उत्पादों की 'सामाजिक उपयोगिता' के बारे में सावधान रहना होगा और उन पर उपयुक्त नियंत्रण रखना होगा ताकि 'उपयुक्त और समुचित' जैसे सुदृढ़ जांचों के माध्यम से दोषपूर्ण बिक्री न की जा सके। हाल में नए उत्पादों को अनुमति देने के रूप में कई दूरगामी उपाय किए गए हैं जैसे ब्याज दर फ्यूचर, करेंसी फ्यूचर और कंपनी बांडों में रिपो। ऐसे उत्पाद भारतीय बाजार के लिए नए हैं और इनका अन्य बाजारों, संस्थागत व्यवहारों और प्रणालियों पर कुल मिलाकर पड़े प्रभाव का मूल्यांकन महत्वपूर्ण होगा। भविष्य में, हमें प्रमुख ध्यान सुदृढ़ बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने और नए बाजारों के लिए प्रणालीगत निगरानी ढ़ांचे को मजबूत करने पर देना होगा।

(ख) वित्तीय होल्डिंग कंपनियां

21. पिछले दशक के दौरान भारत ने वित्तीय संस्थाओं को बड़े-बड़े वित्तीय संघों में बढ़ते और विकसित होते देखा है। ये वित्तीय संस्थाएं अब बहुत सी गैर-बैंकिंग वित्तीय गतिविधियों में कार्य कर रही हैं। इस पृष्ठभूमि में, भारत में वित्तीय समूह के द्वारा अपनाए गए कारपोरेट स्वरूप की प्रकृति का मुद्दा दो स्पष्ट कारणों से प्रासांगिक बन गया है, यद्यपि यह अंतर्संबद्ध और परिप्रेक्ष्यगत है - एक, समूह के अंर्तगत प्रभावी कंपनी प्रबंधन जिसके द्वारा समूह की वृद्धि, जोखिम प्रबंधन और पूंजी आवश्यकताओं की समस्याओं का समाधान होता है: और

दो, विभिन्न मॉडलों के साथ विनियामी गुंजाइश की मात्रा, विशेष रूप से संक्रामक जोखिमों की चिंताओं के बारे में।

22. इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए एक कार्य समूह ने पसंदीदा मॉडेल के रूप में वित्तीय होल्डिंग कंपनी मॉडल को अपनाने की सिफारिश की है, क्योंकि इससे बैंक, *अन्य बातों के साथ-साथ,* एक सीमा तक समूह के जोखिमों को 'धारण करने' से संबंधित जोखिमों से मुक्त हो सकते हैं और बैंक प्रबंधन को सहायक कंपनियों तथा अन्य संबद्ध संस्थाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी से मुक्त कर सकते हैं। यह ढ़ांचा भी बेहतर विनियामी निगरानी और साफ-सुधरे समाधानों को आसान बनाता है। भारत में वित्तीय होल्डिंग कपनी मॉडल को लागू करने में बहुत-सी चुनौतियां हैं। इस मॉडल को लागू करने के लिए एक नए विधायी ढ़ाचे की आवश्यकता होगी, उपयुक्त कर व्यवहार के माध्यम से मौजूदा वित्तीय संघों को सही प्रोत्साहन प्रदान करना होगा तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में रणनीतिक और जननीतिक मामलों का निराकरण ढूंढना होगा।

(ग) परिवर्तनशील बैंकिंग परिदृश्य : बैंकों का अनुषंगीकरण

23. वैश्विक संकट का एक प्रमुख उदाहरण विदेशी बैंकों की शाखाओं की तुलना में सब्सिडियरी के लाभों की सराहना और स्वीकृति है। रिज़र्व बैंक ने सब्सिडियरी के रूप में विदेशी बैंक खोलने के लिए प्रेरणा देने की दिशा में कई कदम पहले ही उठाए हैं। इस संबंध में रखे गये मसौदा पेपर में सुझाव दिया गया है कि विदेशी बैंकों की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों को लगभग राष्ट्रीय व्यवहार प्रदान करके सब्सीडियरी मार्ग को और अधिक आकर्षक बनाया जाए। सब्सीडियरी रूप में विदेशी बैंकों के आने से भारतीय बैंकों के समक्ष और अधिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी क्योंकि इस मार्ग से भारत के अंतर्गत कारोबार विस्तार में विदेशी बैंकों को लगभग समान अवसर मिलेगा।

(घ) आइएफआरएस का अंगीकरण

24. आइएफआरएस में विलयन को लागू करने के लिए कुछ मुद्दों के समाधान की आवश्यकता है। एक, वित्तीय लिखतों से संबंधित अति महत्त्वपूर्ण आइएफआरएस9 अभी विकसित हो रहा है और इसके अंतिम मानक के शीघ्र उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। इसके पश्चात, सनदी लेखाकार संस्थान को भारत के लिए विलयित मानक की उद्घोषणा करने की आवश्यकता होगी। आइएफआरएस के साथ विलयन के लिए अल्पकालिक समय सीमा को देखते हुए इससे एक सक्रिय लक्ष्य सामने आता है। मानकों में विलयन के लिए बैंकों की आइटी प्रणाली में काफी अधिक कुशल उन्नयन और संशोधन की आवश्यकता होगी। रिज़र्व बैंक ने एक कार्य समूह बनाया है जो कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों का निराकरण करेगा और विलयन के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देशों को बनाने में सहायता करेगा।

(ङ) वित्तीय विधायन में सुधार

25. विधायी ढांचे का विकास एक दिलचस्प क्षेत्र है। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाये जाते हैं। लेकिन, यदि परिस्थितियां बदलती हैं तो कानूनी ढांचा अपर्याप्त हो सकता है। ऐसा केवल वित्तीय संसार में होता है क्योंकि परिवर्तन की गति बहुत तेज है। अभी वित्तीय क्षेत्र में हमारे पास लगभग 60 अधिनियम हैं और बहुत-सी नियमावलियां और विनियमावलियां हैं। इन अधिनियमों में किये गये निरंतर परिवर्तनों ने कानून को अस्पष्ट तथा जटिल बना दिया है। सरकार ने एक वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग बनाने का एक प्रयास किया है जो भारत के तेजी से बढ़ते वित्तीय क्षेत्र के साथ सामंजस्य बिठाने में वित्तीय क्षेत्र के कानूनों, नियमावलियों और विनियमावलियों को पुनः लिखने और उन्हें सुकर बनाने का कार्य करेगा।

ख अर्थव्यवस्था की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने संबंधी चुनौतियां

26. भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक है। इस अर्थव्यवस्था में विविध भौगोलिक और जनांकिकीय वाली कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं हैं जिसके द्वारा यह नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है और अपनी संपूर्ण क्षमता को प्राप्त कर सकती है। बैंकों को अपनी कारोबारी रणनीति को पुनः निर्धारित करके उक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार रहना होगा। इस अर्थव्यवस्था की कुछ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण आवश्यकताएं इस प्रकार हैं (i) वित्तीय समावेशन, (ii) बुनियादी क्षेत्र का वित्त पोषण और (iii) आवास तथा स्थावर संपदा का वित्त पोषण।

(i) वित्तीय समावेशन

27. यह अनुमान है कि बैंकिंग क्षेत्र के व्यापक विस्तार के बावजूद लगभग 40 प्रतिशत भारतीय अभी भी औपचारिक वित्तीय सेवाओं की साधारणतम किस्म की सेवा तक भी नहीं पहुंच पाते। वित्तीय अपवंचना का ये हिस्सा भारतीय जनसंख्या के एक बड़े भाग को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में जाने से रोककर और संभवतः सामाजिक तनाव उत्पन्न कर भारत की वृद्धि को बहुत पीछे ले जा सकता है। इस प्रकार, वैश्विक वित्तीय समावेशन से राष्ट्रीय प्रतिबद्धता

और नीतिगत प्राथमिकता दोनों ही प्राप्त होते हैं। रिज़र्व बैंक और भारत सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं जैसे - छोटी राशि की ओवरड्राफ्ट सुविधा के प्रावधान सहित 'नो फ्रिल' खाते खोलने की अनुमति देना, छोटी राशि के खातों के लिए केवाईसी मानदंड़ों में छूट देना, टियर 2 से टियर 6 वाले उन केन्द्रों में शाखाएं खोलने के लिए सामान्य अनुमति देना जहां पर जनसंख्या 1,00,000 से कम हो, वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए कारोबार सुसाध्यकर्ता और कारोबार संपर्की मॉडल आदि के प्रयोग की अनुमति देना। हाल के वर्षों में इन प्रयासों के फलस्वरूप कुछ सुधार हुए हैं, किन्तु वास्तविक वित्तीय समावेशन अभी भी हमसे दूर है और बड़ी-बड़ी चुनौतियां अभी शेष हैं। सबसे पहले, वित्तीय अपवंचन के आकार के सही मूल्यांकन के अभाव में सही नीति की शुरुआत करना कठिन है। इसलिए एक विशिष्ट सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है अथवा वित्तीय समावेशन / अपवंचन से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए दशक में होने वाली जनगणना के दायरे को और बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके पश्चात छोटे-छोटे लेनदेनों की उच्च परिचालन लागत और उन्हें दूरदराज क्षेत्रों में पहुंचाने से संबंधित कठिनाइयों के मामले हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि बैंकों को वित्तीय समावेशन को एक लाभप्रद, व्यापारिक तौर पर व्यवहार्य कारोबार के रूप में देखने की आवश्यकता है न कि एक दायित्व के रूप में। इसको उत्पाद नवोन्मेषों,लेनदेनों की लागत को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग,ग्रामीण बाजार को पूरी तरह समझने के बाद उत्पादों और सेवाओं की व्यापक बिक्री करके प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में मोबाइल बैंकिंग में अपार संभावनाएं निहित हैं।सूचना और संचार प्रौद्योगिकी समाधानों के प्रभावी लीवरेज और उनके सरलीकरण तथा स्मार्ट कार्ड, बायोमैट्रिक हैडहेल्ड उपकरणों, मोबाइल और बुनियादी लेबल के एटीएमों आदि जैसे उत्पादों का प्रयोग करके लागत में कटौती की जा सकती है। सांस्कृतिक और प्रवृत्तिगत परिवर्तनों की आवश्यकता होगी ताकि संगठनात्मक आघात-सहनीयता और नमनीयता जमीनी स्तर पर लाई जा सके विशेष रूप से शाखाओं के स्तर पर। वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श से वित्तीय समावेशन के लिए सही दशाओं का निर्माण होगा।

28. मूलभूत बुनियादी सुविधा जैसे स्वास्थ्य, पानी, स्वच्छता और शिक्षा प्रदान कर वित्तीय सेवाओं की अवशोषणात्मक क्षमता में भी सुधार की आवश्यकता है। इससे आय में तीव्र वृद्धि हो सकती है और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से इतर गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है और ऋण की मांग में वृद्धि हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में वैयक्तिक प्रयासों के लिए पुरस्कार और पहचान की प्रथा शुरू करके, नवोन्मेषों और नये उत्पादों और सेवाओं को सही तरीके से कार्यान्वित करके भी वित्तीय समावेशन की आवश्यक मदद की जा सकती है। वित्तीय समावेशन के लिए हमारा एक बैंक प्रधान मॉडल है क्योंकि हमारे विचार में केवल बैंक ही व्यापक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम जैसे जमा और ऋण उत्पाद तथा प्रेषण सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। इसलिए वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को सफल बनाने में बैंकों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।

(ii) बुनियादी क्षेत्र का वित्तीयन

29. भारत के बुनियादी क्षेत्र के वित्तपोषण की अपेक्षाएं न केवल बहुत बड़ी हैं बल्कि अत्यावश्यक भी हैं। 2007-12 के दौरान बुनियादी क्षेत्र पर लक्षित वार्षिक व्यय लगभग 500 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा जिसके अगली पंचवर्षीय योजना में दो गुना होने का अनुमान (2012-17 के दौरान 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर) है। अनुमान के अनुसार बुनियादी क्षेत्र के वित्तीयन में कमी से प्रति वर्ष[1] जीडीपी के लगभग 4 प्रतिशत की हानि होगी जो भारत जैसे विकासशील देश के लिए काफी महंगी पड़ेगी। पारंपारिक रूप से, बैंक बुनियादी क्षेत्र के वित्तीयन के प्रमुख स्रोत रहे हैं और बुनियादी क्षेत्र में उनका एक्सपोजर अधिक अर्थात 17 प्रतिशत रहा है। दीर्घकालिक निधीयन योजना वाली इन्फ्रास्ट्रक्चर योजनाओं का बैंकों के आस्ति देयता प्रबंधन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बैंक वित्तीयन के कुछ विकल्प हैं जैसे कंपनी बॉंड बाजार, आधारभूत ऋण फंड का विकास आदि। तेजी से उभरते परिदृश्य में बैंकों के सामने चुनौती बुनियादी क्षेत्र में वित्त की जरूरतों को पूरा करने में अपनी स्थिति को संतुलित बनाना है, उसी समय उनको यह भी देखना है कि जोखिम भी काफी अधिक नहीं बढ़ें। संतुलन के इस कार्य को पूरा करने का एक विकल्प टेक आउट वित्तीयन हो सकता है। सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक ने अभी इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण निधि (आइडीएफ) की शुरुआत की है जिससे टेक आउट वित्तीयन और कंपनी बॉंड बाजार के विकास में मदद मिलेगी।

(iii) आवास तथा स्थावर संपदा का वित्त पोषण

30. बैंकों के लिए आवास तथा स्थावर संपदा का वित्तपोषण एक दूसरी चुनौती है। बढ़ते शहरीकरण और बढ़ती आय के साथ-साथ जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर ने बैंकों को इस क्षेत्र में सहभागिता के लिए व्यापक कारोबार अवसर प्रदान किये हैं। आवास वित्त की बढ़ती मांग भविष्य में बैंक ऋण की प्रमुख प्रेरक होगी। सूचना असंगति और

[1] इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर - गोइंग बियोंड साउंड बाइट्स - सिटी ऑफ लंदन (2010)।

अपारदर्शिता के अर्थ में स्थावर संपदा के इंपरफेक्शन ने बड़ी-बड़ी चुनौतियां प्रस्तुत की हैं, ऐसे में बैंकों को बहुत अधिक सावधानी के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है तथा उन्हें विवेकहीन अति से बचना है। स्थावर संपदा एक बहुत संवेदनशील क्षेत्र है और यहां पर कृत्रिम मूल्य वृद्धि (बबल) की संभावनाएं बहुत आसान हैं। इसको गलती से तीव्र वृद्धि समझा जा सकता है। वैश्विक संकट इस बात की गवाह है कि स्थावर संपदा क्षेत्र के अतिरेक वित्तीय प्रणाली के लिए घातक प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं और बैंकों को इस प्रकार की शीघ्र और जोखिम भरी आय के लालच से बचना है।

ग. गलतियों को सुधारने की चुनौतियां

(i) आस्ति गुणवत्ता

31. अनर्जक आस्तियों के कारण कुछ चिंताएं बढ़ी हैं। जबकि वैश्विक वित्तीय संकट के प्रतिकूल प्रभाव को अनर्जक आस्तियों में वृद्धि के लिए आंशिक तौर पर जिम्मेदार माना जा सकता है, वहीं बूम अवधि के पूर्व बैंकों की धुआंधार उधार देने की प्रवृत्ति और आवश्यक सतर्कता का अभाव तथा ऋण खातों की निगरानी में लापरवाही भी आस्ति गुणवत्ता में गिरावट के लिए उत्तरदायी रही है। ऐसा ही घटित हुआ है, विशेष रूप से खुदरा ऋण के मामले में। सकल एनपीए अनुपात मार्च 2006 के अंत के 3.30 प्रतिशत से घटकर मार्च 2011 के अंत में 2.25 प्रतिशत रह गया जो मुख्य रूप से सकल अग्रिमों में समानुपाती वृद्धि के कारण हुआ; 2005-06 से 2010-11 के दौरान सकल एनपीए की कुल राशि में 466.69 बिलियन (91 प्रतिशत की वृद्धि) की बढ़ोतरी हुई। इस प्रकार, एनपीए स्टॉक में लगातार वृद्धि हुई है। बैंकिंग प्रणाली का चूक अनुपात, जिसको सकल बैंक अग्रिमों के प्रारंभिक शेष के सकल एनपीए में नई वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है, 2008-09 में सीधे बढ़कर 2.18 प्रतिशत और 2009-10 में बढ़कर 2.21 प्रतिशत हो गया। सकल मानक अग्रिमों में 2005-06 (1.9 प्रतिशत) से 2007-08 (1.8 प्रतिशत) तक गिरावट की प्रवृत्ति दिखी थी। प्रणाली स्तर पर, अपग्रेडेशन और रिकवरी के कारण अनर्जक आस्तियों में नयी वृद्धि मौजूदा अनर्जक आस्तियों में कमी की तुलना में तीव्र गति से हुई है। बट्टे खाते डालने के बावजूद भी, सकल एनपीए में काफी अधिक वृद्धि जारी है।

32. मार्च 2006 की अवधि से मार्च 2011 के दौरान बैंकिंग प्रणाली के सकल स्टॉक और निवल एनपीए में उतार-चढ़ाव की स्थिति को दर्शाने वाली सारणी नीचे दी गयी है।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की अनर्जक आस्तियाँ

(राशि ₹ बिलियन में)

के अन्त की स्थिति के अनुसार	कुल सकल अग्रिम		कुल सकल एनपीए		कुल निवल एनपीए	
	राशि	पिछले मार्च के बाद परिवर्तित प्रतिशत	राशि	सकल अग्रिम के प्रतिशत के अनुसार	राशि	निवल अग्रिम के प्रतिशत के अनुसार
मार्च-06	15,506.30	30.46	511.99	3.30	185.32	1.22
मार्च-07	20,126.65	29.80	505.13	2.51	199.56	1.01
मार्च-08	25,078.85	24.61	565.25	2.25	246.75	1.00
मार्च-09	30,376.06	21.12	692.92	2.28	316.80	1.06
मार्च-10	35,450.00	16.70	846.48	2.39	377.19	1.08
मार्च-11	43,586.28	22.95	978.68	2.25	418.13	0.97

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

33. निवल एनपीए के आंकड़ों का सहारा लेना सहूलियतकारी तो हो सकता है लेकिन यह सहूलियत दिग्भ्रमित करने वाली हो सकती है। बैंकों को न केवल प्रभावी तरीके से विभिन्न उपाय जैसे कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्था, एकबारगी निपटान प्रणाली, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, अशोध्य कर्जों के समाधान और वसूली के लिए रिज़र्व बैंक तथा भारत सरकार द्वारा लागू किये गये सरफेईसी अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग करने की आवश्यकता है बल्कि बढ़ती अनर्जक आस्तियों की समस्या को कम करने के लिए उनको समुचित सतर्कता, ऋण मूल्यांकन और मंजूरी के पश्चात कर्ज़ निगरानी को भी मजबूत करना होगा। पिछले दशक में हुए समग्र आर्थिक विकास और उच्चतर डिस्पोज़बल आय के कारण खुदरा व्यय में घातांकी वृद्धि हुई। चूंकि वित्तीय समावेशन के लिए प्रयास किये जा रहे है, बैंक योग्य आबादी में और बढ़ोतरी दिखेगी। इसके लिए आवश्यकता होगी कि बैंकों द्वारा बकाया जोखिमों और पोर्टफोलियो की गुणवत्ता का सावधानीपूर्वक प्रबंधन किया जाए। प्रावधानन अपेक्षाओं का अनुपालन करने से, अच्छे समय में प्रतिचक्रीय प्रावधानों को बनाने से और पूंजी बफर को धारण करने से, कुछ हद तक बैंक संकट की स्थिति के दौरान अत्यधिक चूकों से होने वाले तनावों से बच सकते हैं।

(ii) समेकन

34. प्रमुख कारोबारी उद्यमों का पुनर्गठन करने के लिए विलयन और अधिग्रहण को सारे संसार में व्यापक तौर पर इनऑर्गनिक वृद्धि के एक साधन के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इसको बाजार तक पहुंच में बड़े आकार की तथा तीव्र वृद्धि प्राप्त करने के लिए और इसे मितव्ययी तथा और अधिक प्रतियोगी बनाने के लिए एक रणनीति का हिस्सा

माना जाता है। भारत में बुनियादी ढांचे की बड़ी-बड़ी आवश्यकताओं और विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए बड़े बड़े बैंक नहीं हैं। नरसिंहम समिति II की सिफारिशों के अनुसार बैंकिंग प्रणाली का ढांचा, जिसमें मध्यम आकार और छोटे आकार के बैंक तथा कुछ बड़े अंतरराष्ट्रीय बैंक भी शामिल हैं, न केवल बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं और बड़ी परियोजनाओं का वित्तपोषण करेगा तथा मितव्यता लायेगा बल्कि देश की छबि को एक वित्तीय डेस्टीनेशन के रूप में भी प्रस्तुत करेगा साथ ही यह भारतीय बैंकों को वित्त संग्रहण, ऋण संवितरण, निवेश तथा वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के अर्थ में वैश्विक रूप से प्रतियोगी बनाएगा। इसको समेकन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकेगा। समेकन मार्ग को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ, देशी बैंकिंग क्षेत्र की स्पर्धा आवश्यकताओं को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, न ही उन जोखिमों और चुनौतियों को नजरअंदाज किया जाएगा जो प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण बड़े-बड़े वित्तीय संस्थाओं की उपस्थिति और परिचालन से सामने आए हैं। कोई नहीं जानता कि विशालता का आदर्शतम आकार क्या होना चाहिए, इस संबंध में एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि बैंकों को जटिल स्ट्रक्चर बनाने से बचना चाहिए और नियामक को इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए।

(iii) कंपनी अभिशासन में कमी

35. कई अध्ययनों में श्रेष्ठ अभिशासन मानक और किसी कंपनी के कार्यनिष्पादन तथा कार्यदक्षता के बीच प्रत्यक्ष संबंध की बात कही गई है। यह कथन बैंकों के मामले में पूरी तरह सही है, एक तरफ यह न्यासी क्षमता में जनता के पैसों से व्यवहार करता हैं और बल्कि दूसरी तरफ समग्र वित्तीय प्रणाली में अपनी केन्द्रीयता के कारण सरकार / केन्द्रीय बैंक का समर्थन प्राप्त करता है। हाल के संकट ने यह भी प्रदर्शित किया है कि कैसे कमजोर अभिशासन ढांचे ने अत्यधिक जोखिम लेने के माध्यम से संकट को बढ़ाने में अपना योगदान किया। जोखिम पूर्ण और जटिल उत्पादों के लेन-देनों को न ही वित्तीय कंपनियों और न तो ग्राहकों के द्वारा पूरी तरह से समझा जा सका, कंपनी अभिशासन में कमी का यह एक दूसरा योगदान करने वाला कारक है। पिछले एक दशक में भारत में अभिशासन अपेक्षाएं काफी अधिक बढ़ गई हैं, सुअभिशासन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भारत में हाल में 'डेरिवेटिव' की घटना हुई जो 'उपर्युक्तता और सटीकता' की अपेक्षाओं के अपर्याप्त प्रयोग का एक मामला है और परिणामस्वरूप यह एक अभिशासन की कमी की घटना है। इस प्रकार निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन की यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी संबंधी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि संबंधित बैंक एक ऐसा मजबूत अनुपालन संस्कृति वाला कंपनी अभिशासन ढांचा बनाएं जिसकी प्रभावकारिता तथा कार्यदक्षता की दृष्टि से अवधिक तौर पर समीक्षा की जाए।

(iv) सूचना असममिति

36. बहु बैंकिंग परिदृश्य में सूचना असममिति एक गंभीर मामला है। बैंकों के बीच ऋण सूचनाओं के आदान-प्रदान का एक ढांचा बनाया गया है जिससे बैंक अपने ऋण मूल्यांकन ढांचे को सुकर बना सकें और चूककर्ता उधारकर्ताओं के बीच अनुशासन स्थापित कर सकें। ऐसे आंकड़ों की उपयोगिता नि:संदेह इनकी अखंडता और समयबद्धता से जुड़ी हुई है। सूचनाओं का आदान-प्रदान न होने से ऐसी व्यवस्था का उद्देश्य ही परास्त हो जाता है। दुर्भाग्यवश यह व्यवस्था काम नहीं कर पायी है। बैंकों को इस व्यवस्था के कार्य करने के लिए प्रयास करने चाहिए। अतिरिक्त ऋण सूचना कंपनियों को लाइसेंस देने से आशा है कि प्रणाली में सूचनाओं के आदान-प्रदान की एक मजबूत सूचना व्यवस्था विकसित होगी और इसके आगे बैंकिंग प्रणाली का भी विकास होगा।

(v) उत्पाद मूल्यन

37. बैंकिंग उत्पादों की लागत एक ऐसा मुद्दा है जिस पर व्यापक रूप से गंभीर चर्चा से बचा जा रहा है। जोखिमों और बैंकिंग उत्पादों का समुचित और सही मूल्यन जोखिम प्रबंधन तथा ग्राहक सेवा की दृष्टि से आवश्यक है। इससे प्रतियोगिता भी बढ़ सकती है जिसका परिणाम ऐसी बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा का लाभ कम लागत पर अंतिम ग्राहक को देना है। बैंकों के सामने प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष का सर्वोत्तम प्रयोग करने की चुनौती है जिससे मध्यस्थता लागत कम की जा सके साथ ही उनके आधार की भी सुरक्षा की जा सके। सभी वर्ग के ग्राहकों के प्रति समान व्यवहार का मामला भी एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। आज ग्राहकों से बहुत सी शिकायतें फ्लोटिंग दर उत्पाद में निष्पक्षता में कमी के संबंध में प्राप्त हो रही हैं। बैंकों को उनके प्रति संवेदनशील होना होगा। इस मामले से निपटने के लिए रिज़र्व बैंक एक कार्य समूह बनाएगा जैसा कि हाल की मौद्रिक नीति में घोषित किया गया था जिससे ऋण के मूल्यन की उपयुक्त प्रणाली की खोज की जा सके।

(iv) ग्राहक सेवा

38. बैंकिंग मुख्य रूप से एक सेवा उन्मुख कारोबार है और अच्छी ग्राहक सेवा बैंकों की वृद्धि और स्थिरता के लिए आवश्यक है। बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण ग्राहक सेवा उनके प्रासंगिक बने रहने

और कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए एकमात्र विभेदकारी कारक है। प्रतिफल और लाभ की खोज में ग्राहक सेवा को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है लेकिन पूरी तरह से नहीं। जैसे-जैसे ग्राहक जागरुकता बढ़ती है बैंकों को और प्रभावी सेवाएं देने के लिए तैयार करने की आवश्यकता है तथा साथ ही लागत किफायती सेवाएं भी देने की आवश्यकता है जिससे प्रौद्योगिकी क्षमता को बढ़ाया जा सके। ग्राहकों को अपने पास रोककर रखना भविष्य के लिए प्रमुख कारक बनता जा रहा है।

39. बैंकों में ग्राहक सेवा के मुद्दे पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए मई 2010 में रिज़र्व बैंक ने एक समिति (अध्यक्षः श्री एम. दामोदरन) बनाई। इस समिति ने खुदरा और छोटे-छोटे ग्राहकों तथा पेंशनरों को प्रदान की गई सेवाओं, वर्तमान शिकायत निवारण प्रणाली की प्रभावकारिता और इसके ढांचे, बैंकिंग लोकपाल योजना की कार्यप्रणाली तथा बेहतर ग्राहक सेवा के लिए प्रौद्योगिकी को समुन्नत करने की योजना की जांच की। समिति ने सुधार के लिए कुछ उपायों की सिफारिश की है। इन सिफारिशों और इन पर प्राप्त जनता के विचारों को क्रियान्वित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा जांच की जा रही है। फिलहाल, हाल में समाप्त हुए लोकपाल सम्मेलन में 10 कार्य बिंदुओं की पहचान की गयी है, ये बिंदु ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक समझे गए हैं।

(vii) अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी)

40. धन शोधन एक बढ़ रहा खतरा है और यह न केवल वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और अखंडता के लिए बल्कि पूरे विश्व के देशों की प्रभुसत्ता और सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहा है। आने वाले दिनों में बैंकों के सामने मुख्य चुनौती धनशोधन के बढ़ रहे खतरे से अपने को बचाना है। भारत में धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 में पारित किया गया और इसे वित्तीय कार्रवाई कार्य दल के अनुरूप बनाया गया है (2009 में वित्तीय कार्रवाई कार्य दल की अनुशंसाएं)। इसके अलावा, भारत 2010 में वित्तीय कार्रवाई कार्य दल का सदस्य बन गया है। बैंकों को धन शोधन और अपने ग्राहक को जानो मानदंड के बारे में व्यापक स्तर पर जागरूक किया जा रहा है। केवाईसी अनुशासन को, विशेष रूप से वित्तीय समावेशन प्रयासों के एक भाग के रूप में बैंकिंग की पहुंच को बढ़ाने के लिए, हमारी समन्वित कोशिशों की दृष्टि से बहुत अधिक महत्त्व दिया जा रहा है । बैंकों को उच्च स्तर का केवाईसी अनुपालन तथा मजबूत धनशोधन निवारण व्यवस्था सुनिश्चित करनी है।

(viii) जोखिम प्रबंधन, प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन विकास

41. बढ़ रहे वित्तीय आधुनिकीकरण और वर्तमान नवोन्मेषी वित्तीय उपकरणों के डाइनैमिक कारोबारी परिदृश्य को देखते हुए बैंकों को विकट जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार, उद्यम व्यापी सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन प्रणाली दीर्घकाल में बैंकों को जीवित रखने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। उपयुक्त जोखिम प्रबंधन प्रणाली वाले बैंकों को न केवल प्रतियोगी लाभ मिलेगा बल्कि शेयरधारकों और हितधारकों के लिए भी मूल्य योजन होगा। इसलिए बैंकों को समन्वित जोखिम प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रयास करना होगा, बैंक और समूह दोनों के अंतर्गत। इस प्रकार का एक समन्वित जोखिम प्रबंधन ढांचा उनके मौजूदा स्वरूप में विभिन्न संगठनों के कारोबारों, जोखिम प्रबंधकों तथा आईटी प्रणालियों के बीच संबंध विच्छेद के कारण हाल में कठिन होगा। भारतीय बैंकों ने कोर-बैंकिंग सोल्युशन के अंतर्गत अधिकांश कम्प्यूटरीकरण कर लिया है। लेकिन, इससे आवश्यक प्रबंध सूचना प्रणाली और जोखिम प्रबंधन के विश्लेषणात्मक उपकरणों के लिए उनकी पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हुई है। जोखिम प्रबंधन प्रणाली का उन्नयन करने के लिए बैंकों को अपनी प्रौद्योगिकी को अनुपातिक रूप से उन्नत बनाना होगा जिससे सूचना प्रबंधन प्रणाली और जोखिम प्रबंधन के लिए विश्लेषणात्मक उपकरण उपलब्ध हो सकें। इससे प्रौद्योगिकी में बड़े-बड़े निवेश होंगे विशेष रूप उन बैंकों में जिन्हें बासेल II के अंतर्गत उन्नत दृष्टिकोण अपनाने के लिए अंतरण करना है।

42. इसके अलावा, इंटरनेट, मोबाइल और बेतार उपकरणों की विस्फोटक वृद्धि ने अर्थव्यवस्था और आज के कारोबार में क्रांति ला दी है। इस प्रकार बैंकों की प्रौद्योगिकी आवश्यकताएं केवल जोखिम प्रबंधन अपेक्षाओं तक सीमित नहीं रह गयी हैं। वित्तीय समेकन के लिए प्रौद्योगिकी नवोन्मेष को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। प्रौद्योगिकी का समन्वयक के रूप में विकास हुआ है और यह किसी कंपनी की भावी सफलता की एक कुंजी है, बैंकों के लिए तो यह और अधिक लाभकारी है। परिचालन गति, शुद्धता, गुणवत्ता, सुपुर्दगी प्रणाली तथा लागत -किफायत ऐसे कुछ सुज्ञात लाभ हैं जिनसे बैंकों और उनके ग्राहकों दोनों को लाभ पहुंचेगा। प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक प्रयोग ने बैंकों के लिए गंभीर चुनौतियां प्रस्तुत की हैं क्योंकि प्रौद्योगिकीय मांगों में तीव्र वृद्धि / परिवर्तन की गति से कदम मिलाना मुश्किल हो रहा है। प्रौद्योगिकी में तीव्र परिवर्तन से लाभप्रदता, सुपुर्दगी और गुणवत्ता में बढ़त बनाये रखी जा सकेगी साथ ही प्रौद्योगिकी के प्रयोग में निहित

जोखिमों को पहचानने, समझने, प्रबंधन करने और उन्हें कम करने से संबंधित कार्य को प्राथमिकता दी जा सकेगी।

43. भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी तरफ से इस दिशा में कई कदम उठाए हैं जिसमें आईटी विजन दस्तावेज 2011-17 को बनाना शामिल है, इस दस्तावेज में निम्नलिखित क्षेत्रों में कोर-बैंकिंग सोल्युशन से लगाकर आईटी के अधिकाधिक प्रयोग की दिशा में वाणिज्यिक बैंकों के लिए प्राथमिकताएं तय की गयी हैं जैसे प्रबंध सूचना प्रणाली, विनियामी रिपोर्टिंग, समग्र जोखिम प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, ग्राहक संपर्क प्रबंधन और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के बैंकों के अंदर तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को वर्धित स्वचलित डेटा प्रवाह आदि। प्रौद्योगिकी, मैसेजिंग और नेटवर्किंग आदि क्षेत्र में नवीनतम गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अगली पीढ़ी आरटीजीएस स्थापित करने के उपाय किये जा रहे हैं।

44. बैंकों की तरफ से एक त्रिमुखी कार्रवाई एजेंडा की अत्यंत आवश्यकता है। इनमें से एक है, प्रौद्योगिकी उन्नयन, साथ ही अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने में बेहतरी के लिए समग्र कारोबारी रणनीति के साथ इसका समन्वयन, बेहतर रखरखाव, निधियों का आदर्शतम उपयोग और निर्णय करने के लिए प्रबंध सूचना, प्रणाली, आस्ति और देयताओं का बेहतर प्रबंधन तथा अनुमानित जोखिम जिनका तुलन-पत्र पर सीधा प्रभाव पड़ता हो, आदि । दूसरी है, ग्राहक की मांग को पूरा करने के लिए एक अधिक गतिशील तथा चुनौतीपूर्ण कार्य संस्कृति, उत्पाद विविधता, ब्रांड मूल्य, ख्याति, कंपनी अभिशासन और विनियामी निर्देश। तीसरी है, आंतरिक नियंत्रण पर फोकस, जोखिम को कम करने की प्रणाली और कारोबार निरंतर योजना जिससे प्रौद्योगिकी को अपनाने से आये संभावित परिचालनगत जोखिमों को प्रभावी तरीके से कम किया जा सके, इस प्रौद्योगिकी को अपनाने से समग्र वित्तीय स्थिरता पर काफी अधिक प्रभाव पड़ सकता है।

निष्कर्ष

45. अंत में उद्धरण देकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि 'कल उन लोगों का है जो इसके लिए आज तैयारी करते हैं। मुझे विश्वास है कि हम सब अपने अतीत से सबक लेंगे और उन चुनौतियों के लिए अपने को तैयार करेंगे जो भविष्य में हमारे सामने आएंगी।'

मैं एक बार फिर बैंकॉन को मुझे यह गौरवपूर्ण अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूँ जिसके माध्यम से मैं अपने विचारों को आपके समक्ष रख सका।

मैं आपके लिए भावी सुखद समय की कामना करता हूँ।